

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग
-:अधिसूचना:-

संचिका संख्या :-6/अ0-03-06/2011

पटना, दिनांक-

श्री प्रियदर्शी रंजन, राज्य-कर अपर आयुक्त (प्रभारी), बिहारशरीफ अंचल, बिहारशरीफ को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक-23.07.2025 से 03.08.2025 तक कुल 12 (बारह) दिनों के उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त उपार्जित अवकाश की स्वीकृति के उपरांत श्री प्रियदर्शी रंजन के अवकाश लेखा में (300-12=288) (दो सौ अष्टासी) दिन उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(विजय कुमार)

उप सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-6/अ0-03-06/2011 619

/पटना, दिनांक-17/02/26

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै0दा0नि0को0)विभाग, बिहार, पटना-800015/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, नालंदा/राज्य-कर अपर आयुक्त (प्र0), पटना पूर्वी प्रमण्डल, पटना/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी (स्था0), एच0आर0एम0एस0, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/राज्य-कर उपायुक्त-सह-एच0आर0 मैनेजर (स्था0), वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्री प्रियदर्शी रंजन, राज्य-कर अपर आयुक्त (प्रभारी), बिहारशरीफ अंचल, बिहारशरीफ को सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।